कार्यालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारीः डॉ0 राजेश शर्मा, आई.ए.एस.

सूचना का अधिकार अपील संख्या 02/2021

अपीलान्ट बनाम **रेस्पोडेन्टस**

सुरेश घेवरचन्द शर्मा,
C 0 0 1 विनेश बिल्डिंग,विराट
नगर, विरार पश्चिम, ता. वसई
जिला–पालघर, महाराष्ट्र।

लोक सूचना अधिकारी
अति0 संभागीय आयुक्त,
जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 19 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 विरूद्ध लोक सूचना अधिकारी (अति0 संभागीय आयुक्त जोधपुर), कार्यालय हाजा

निर्णय

दिनांक सितम्बर, 2021

1. अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्ट के द्वारा कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी (अति0 संभागीय आयुक्त, जोधपुर) को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 25.06.2021 को एक प्रार्थना पत्र प्रेषित किया जो कार्यालय में दिनांक 29.06.2021 को प्राप्त होकर दर्ज हुआ। अपीलान्ट के द्वारा कार्यालय हाजा के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए उनके द्वारा पूर्व में संभागीय आयुक्त कार्यालय जोधपुर को दिनांक 19.10.2020 को प्रेषित किये गये परिवाद के सम्बन्ध में कार्यालय स्तर पर की गई कार्यवाही की सूचना चही गई।''
2. अपीलान्ट के उक्त प्रार्थना पत्र में चाही गई सूचना के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी की ओर से जारी पत्र कमांक एडीसी/सू.अ./48/2021/ 37 दिनांक 14.07.2021 जो सूचना प्राप्त हेतु शुल्क रूपये 04/– जमा कराने हेतु जारी हुआ है, में 04 रूपये शुल्क को कैसे भरना है, मनीआर्डर ड्राफट, चालान से खाता कमांक सहित पूर्ण जानकारी उन्हें उपलब्ध नहीं होने का कथन कर सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत यह प्रथम सूचना अपील प्रेषित अपील दिनांक 29.07..2021 जो कि दिनांक 02.08.2021 इस कार्यालय को प्राप्त हुई है। जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय हाजा से अपील के सम्बन्ध में टिप्पणी ली गई।

3. लोक सूचना अधिकारी कार्यालय हाजा के द्वारा उक्त अपील के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र की दर्ज पत्रावली एवं टिप्पणी दिनांक 15.09.2020 प्रेषित करते हुए यह अवगत कराया गया कि प्रार्थी/अपीलान्ट के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में जो सूचनाएं चाही गई थी, उनके प्रतिलिपि/सूचना शुल्क जो कि 04/– रूपये होते थे, को जमा करवाने हेतु जरिये पत्र दिनांक 14.07.2021 के द्वारा लिखा गया था/सूचित किया गया है।

4. हमने अपीलान्ट की अपील एवं लोक सूचना अधिकारी की ओर से प्रेषित टिप्पणी का अवलोकन किया जिससे यह पाया गया कि अपीलान्ट को उनके प्रार्थना पत्र में उल्लेखित चाही गई सूचना के संदर्भ में लोक सूचना अधिकारी के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क जमा करवाने हेतु प्रार्थी को दिनांक 14.07.2021 को लिखा जाना प्रकट है परन्तु वह शुल्क किस माध्यम के द्वारा अपीलान्ट को जमा करवाया जाना है, उसका उल्लेख उक्त पत्र में नहीं किया गया है। ऐसे में अपीलान्ट के कथन उचित प्रतीत होने से उनकी अपील स्वीकार करने योग्य है।

5. अतः लोक सूचना अधिकारी को अपीलान्ट की अपील स्वीकार करते हुए यह निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को उनके द्वारा चाही गई सूचना 03 दिवस में निःशुल्क प्रेषित करे। साथ ही भविष्य में सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों के अनुसार कार्यालय स्तर से उपलब्ध कराई जाने वाली सूचना/प्रतिलिपि के शुल्क जमा कराये जाने सम्बन्धी सूचना प्रेषित की जावे तो उक्त सूचना पत्र में शुल्क राशि का भुगतान किस माध्यम से यथा पोस्टल आर्डर, मनी आर्डर, डी0डी0, ऑनलाईन, चैक, नकद इत्यादि किसके नाम जमा कराई जानी है, की सम्पूर्ण जानकारी अंकित करते हुए जारी किया जावें। प्रार्थी को पत्रावली बाद निर्णय हो नम्बर से कम की जावे तथा आदेश की प्रति अपीलान्ट एवं लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय हाजा को प्रेषित की जावें।

(डॉ0 राजेश शर्मा)
डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर